

रेरा में पंजीकरण हेतु प्रारूप
कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

पत्र संख्या:...../सम्पत्ति/म0वृ0वि0प्रा0/20.....-20.....

दिनांक

आवंटन पत्र/भुगतान विवरण

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....
पता.....

विषय:- गोविन्द विहार आवासीय योजना, मौजा व ग्राम जैत, तहसील व जिला मथुरा स्थित व्यवसायिक /गुप हाउसिंग/नर्सिंग होम एवं मानचित्र अनुसार अन्य श्रेणी भूखण्ड सं0-..... (अनुमानित क्षेत्र0) का नीलामी के माध्यम से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

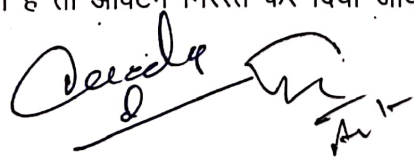
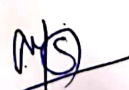
उपरोक्त विषयक गोविन्द विहार आवासीय योजना, मौजा व ग्राम जैत, तहसील व जिला मथुरा स्थित व्यवसायिक/गुप हाउसिंग/नर्सिंग होम एवं मानचित्र अनुसार अन्य श्रेणी भूखण्ड सं0-..... (अनुमानित क्षेत्र0 व0मी0) की दिनांक को हुयी नीलामी में आप द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 (अनुमानित मूल्य) पर आपके पक्ष में निम्नवत् शर्तों पर आवंटित किया जाता है :-

1. भूखण्ड का अनुमानित मूल्य रू0 एवं 10% प्रतिशत कार्नर चार्ज (यदि हो तो) रू0 अर्थात् भूखण्ड का कुल मूल्य (कार्नर चार्ज सहित) रू0 में से ----- पंजीकरण धनराशि रू0 को समायोजित करने के उपरान्त 20% आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि की अन्तर सहित) रू0 आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर जमा करानी होगी ।

2. 80% अवशेष धनराशि रू0 को 03 वर्ष के अंदर 12.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 12 तिमाही किश्तों में जमा करानी होगी, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	किश्तों का विवरण	देय दिनांक	किश्त धनराशि (रू0 में)
1.			
2.			

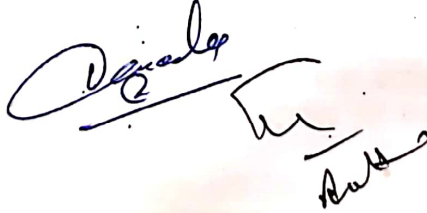
3. भूखण्ड मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज एवं जल संयोजन शुल्क आदि पृथक से देय होगा तथा भूखण्ड पर बिजली, पानी का कनेक्शन आवंटी को स्वयं के व्यय पर अपने नाम से लेना होगा ।
4. बोलीदाता को 29 दिन तक किश्त भुगतान हेतु ग्रेस समय दिया जायेगा। ग्रेस समय के पश्चात् पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से ही जितने दिन किश्त के भुगतान में विलम्ब होता है, का ब्याज नियमानुसार 15.25 प्रतिशत की दर सहित का भुगतान लिया जायेगा। यदि किश्त का भुगतान पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से 03 माह के पश्चात् भी नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार जमा धनराशि जब्त

- कर ली जायेगी। भूखण्ड आवंटन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म०वृ०वि०प्रा० को होगा।
5. भूखण्ड का प्रयोग व्यवसायिक/गुप हाउसिंग/नर्सिंग होम एवं मानचित्र अनुसार अन्य श्रेणी होगा तथा कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर मानचित्र स्वीकृतानुसार निर्माण प्रारम्भ कराना होगा। भूखण्ड का उप-विभाजन मान्य नहीं होगा।
 6. भूखण्ड पर विक्रय विलेख/अनुबन्ध के दिनांक से शासनादेशानुसार अधिकतम पाँच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा एवं भवन के प्रयोग से पूर्व प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
 7. कब्जा दिये जाने के समय/विक्रय विलेख के समय भूखण्ड के क्षेत्रफल में अन्तर आने पर तदनुसार अधिकतम बोली मूल्य के अनुसार धनराशि एवं फ्रीहोल्ड शुल्क जमा करना होगा।
 8. आवंटी को स्थानीय कर एवं प्राधिकरण/शासन द्वारा निर्धारित अनुक्षण शुल्क स्वयं देने होंगे।
 9. भूखण्ड सम्बन्धी देय समस्त भुगतान कर देने एवं पंजीकृत विक्रय विलेख कराने के पश्चात् भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा। समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना होगा। विक्रय विलेख पंजीकरण का सम्पूर्ण व्यय आवंटी को देना होगा।
 10. प्राधिकरण द्वारा योजना के अतिरिक्त सुदृढीकरण हेतु यदि कोई अतिरिक्त भुगतान व्यय किया जाता है तो उसका समानुपातिक भाग आवंटी को वहन करना होगा।
 11. भूखण्ड की बकाया धनराशि का भुगतान निर्धारित समय में जमा न किये जाने की दशा में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 12. भूखण्ड अथवा उस पर निर्मित भवन पर भविष्य में जो भी कर, आदि शुल्क भवन निर्माण के दौरान निर्धारित होते हैं वह बोलीदाता/आवंटी को जमा करने होंगे।
 13. यदि आवंटी द्वारा ब्रोशर एवं आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के कारण भूखण्ड/सम्पत्ति का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है अथवा आवंटी द्वारा समर्पण किया जाता है तो नियमानुसार जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 14. सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान होने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया जा सकेगा।
 15. यदि किसी एल०ए० वाद में किसी न्यायालय द्वारा मुआवजे में बढ़ोत्तरी की जाती है तो वह धनराशि आनुपातिक रूप से आवंटी को देनी होगी।
 16. कब्जे की तिथि से नगर पालिका को कालोनी हस्तान्तरण होने तक आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार रख-रखाव शुल्क देना होगा। तदोपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा रख-रखाव शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

सचिव
म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा।

(12)



रेरा में पंजीकरण हेतु प्रारूप

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

पत्र संख्या:...../सम्पत्ति/म०वृ०वि०प्रा०/20.....-20.....

दिनांक

आवंटन पत्र/भुगतान विवरण

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

पता.....

विषय:-गोविन्द विहार आवासीय योजना, मौजा व ग्राम जैत, तहसील व जिला मथुरा स्थित व्यवसायिक/गुप हाउसिंग/नर्सिंग होम एवं मानचित्र अनुसार अन्य श्रेणी भूखण्ड सं०-..... (अनुमानित क्षेत्र०) का नीलामी के माध्यम से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक गोविन्द विहार आवासीय योजना, मौजा व ग्राम जैत, तहसील व जिला मथुरा स्थित व्यवसायिक/गुप हाउसिंग/नर्सिंग होम एवं मानचित्र अनुसार अन्य श्रेणी भूखण्ड सं०-..... (अनुमानित क्षेत्र० व०मी०) की दिनांक..... को हुयी नीलामी में आप द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रु० (अनुमानित मूल्य) पर आपके पक्ष में निम्नवत् शर्तों पर आवंटित किया जाता है :-

1. भूखण्ड का अनुमानित मूल्य रु० एवं 10% प्रतिशत कार्नर चार्ज (यदि हो तो) रु० अर्थात् भूखण्ड का कुल मूल्य (कार्नर चार्ज सहित) रु० में से ----- पंजीकरण धनराशि रु० को समायोजित करने के उपरान्त 20% आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि की अन्तर सहित) रु० आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर जमा करानी होगी ।
2. अवशेष 80% धनराशि रु० को आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर बिना ब्याज के जमा करानी होगी। विलम्ब की दशा में नियमानुसार 15.25 प्रतिशत की दर विलम्ब ब्याज देय होगा ।
3. भूखण्ड मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज एवं जल संयोजन शुल्क आदि पृथक से देय होगा तथा भूखण्ड पर बिजली, पानी का कनेक्शन आवंटि को स्वयं के व्यय पर अपने नाम से लेना होगा ।
4. भूखण्ड का प्रयोग व्यवसायिक/गुप हाउसिंग/नर्सिंग होम एवं मानचित्र अनुसार अन्य श्रेणी होगा तथा कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर मानचित्र स्वीकृतानुसार निर्माण प्रारम्भ कराना होगा। भूखण्ड का उप-विभाजन मान्य नहीं होगा ।
5. भूखण्ड पर विक्रय विलेख/अनुबन्ध के दिनांक से शासनादेशानुसार अधिकतम पाँच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा एवं भवन के प्रयोग से पूर्व प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
6. कब्जा दिये जाने के समय/विक्रय विलेख के समय भूखण्ड के क्षेत्रफल में अन्तर आने पर तदानुसार अधिकतम बोली मूल्य के अनुसार धनराशि एवं फ्रीहोल्ड शुल्क जमा करना होगा ।

(Pn)

[Handwritten Signature]
Sur. MS

7. आवंटी को स्थानीय कर एवं प्राधिकरण/शासन द्वारा निर्धारित अनुसूचक शुल्क स्वयं देने होंगे ।
8. भूखण्ड सम्बन्धी देय समस्त भुगतान कर देने एवं पंजीकृत विक्रय विलेख कराने के पश्चात् भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा । समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना होगा । विक्रय विलेख पंजीकरण का सम्पूर्ण व्यय आवंटी को देना होगा ।
9. प्राधिकरण द्वारा योजना के अतिरिक्त सुदृढीकरण हेतु यदि कोई अतिरिक्त भुगतान व्यय किया जाता है तो उसका समानुपातिक भाग आवंटी को वहन करना होगा ।
10. भूखण्ड की बकाया धनराशि का भुगतान निर्धारित समय में जमा न किये जाने की दशा में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
11. भूखण्ड अथवा उस पर निर्मित भवन पर भविष्य में जो भी कर, आदि शुल्क भवन निर्माण के दौरान निर्धारित होते हैं वह बोलीदाता/आवंटी को जमा करने होंगे ।
12. यदि आवंटी द्वारा ब्रोशर एवं आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के कारण भूखण्ड/सम्पत्ति का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है अथवा आवंटी द्वारा समर्पण किया जाता है तो नियमानुसार जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
13. सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान होने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया जा सकेगा ।
14. यदि किसी एल0ए0 वाद में किसी न्यायालय द्वारा मुआवजे में बढ़ोत्तरी की जाती है तो वह धनराशि आनुपातिक रूप से आवंटी को देनी होगी ।
15. कब्जे की तिथि से नगर पालिका को कालोनी हस्तान्तरण होने तक आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार रख-रखाव शुल्क देना होगा । तदोपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा रख-रखाव शुल्क प्राप्त किया जायेगा ।

सचिव
म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा ।

(Pn)
[Signature]
[Signature]